प्रतिलिपि आदेश दिनांक 9-5-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्र0क्र0 निग0 1536-तीन/14 विरुद्ध आदेश दिनांक 3-10-13 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर प्र0क्र0 1/पुनर्/13-14.

जानकीप्रसाद पुत्र श्री छेदालाल
निवासी ग्राम भमानापुर तहसील लौंडी
जिला छतरपुर म0प्र0 --- आवेदक

विरुद्ध

1- गोविन्द प्रसाद पुत्र श्री छेदवेलाल ब्राह्मण
निवासी ग्राम भमानापुर तहसील लौंडी
जिला छतरपुर म0प्र0 अन्य-17 -- अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1336/ III/14

जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
9.5.14	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, लवकुशनगर जिला छतरपुर व्दारा प्र.क. 01 /13–14 पुर्नविलोकन में पारित आदेश दिनांक 3–10–13 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।	
	2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।	
	3/ आवेदक के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्को में बताया कि तहसीलदार चंदला ने प्रकरण कमांक 30/अ 27/10–11 में पारित आदेश दिनांक 11–5–11 से सहमति बटवारा किया था, जिसके दो वर्ष वाद अनावेदक गोविन्दप्रसाद ने बटवारा आदेश दिनांक 11–5–11 को पुर्नविलोकन में लेने हेतु आवेदन दिया, जिस पर तहसीलदार ने पुनर्विलोकन की अनुमति मांगी और अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर ने आवेदक को सुने बिना पुर्नविलोकन की अनुमति प्रदान करने में भूल की है इसलिये निगरानी सुनवाई में ली जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगाया जावे।	
	4/ आवेदक के अभिभभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के प्रकरण कमांक 01 /13–14 पुर्नविलोकन में पारित आदेश दिनांक 3–10–13 के अवलोकन पर पाया गया कि तहसीलदार चन्दला व्दारा प्रकरण कमांक 749/बी 121/11–12 में प्रस्ताव दि. 16–1–13	

प्रस्तुत कर अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर से पूर्व में पारित आदेश दिनांक 11–5–11 को पुनरावलोकन लेने की अनुमति कारण दर्शाते हुये चाही गई, जिस पर समाधान होने से अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 3–10–13 से तदाशय की अनुमति प्रदान की

3 है। प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 3–10–13 से पुर्नविलोकन की अनुमति देने में किसी प्रकार की त्रृटि की है ?

> भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 51 – तहसीलदार को किसी आदेश का रिव्ह्यू करने के पहले एस0डी0ओ0 से पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है – पूर्व स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी को इस स्टेज पर पक्षकारों के तर्क सुनने की आवश्यकता नहीं – प्राधिकारी तथ्यों एंव परिस्थितियों से न्याय हित में सम्बन्धित रिकार्ड के अध्ययन से स्वयं का समाधान करेगा कि मामला रिव्ह्यू योग्य है या नहीं, पूर्व स्वीकृति देना चाहिये या नहीं। (पुरूषोत्तम विरूद्व पन्नालाल, 1972 रा.नि. 173 से अनुसरित)

उपरोक्त कारणों से अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर व्दारा प्र.क. 01/13–14 पुर्नविलोकन में पारित आदेश दिनांक 3–10–13 से लिया गया निर्णय उचित प्रतीत होता है जिसके कारण निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

सदस्य